

# वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 418 देखिए)

## धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा  
1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम  
2. पता
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व ग्राह संख्या (यदि आवश्यक हो)
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
- चालान की सकल राशि
- चालान की निबल राशि
- लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर
- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कांड

SBI MAIN BRANCH BLY

श्री पराशर S/o वावुराम

ग्राम- बहैरा, पो- खास, ब्लॉक-

भरमगाँव, तह- आंवला, जिला- बरौली

विद्युत सुरक्षा नियमानुसार

PTW के नये संयोजन हेतु

700

700

0043-बिजली पर कर और शुल्क

102-भारतीय विजली नियमों के अन्तर्गत फीस

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0043	00	102	00	00	700
					700

धनराशि (शब्दों में)

सात सौ रु

केवल

योग

700

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले  
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

महायक निदेशक विद्युत सुरक्षा

उत्तर प्रदेश शास

ए-124 राजेन्द्र नगर

बरौली जाम बरौली

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

पराशर

चालान संख्या

LF00041

दिनांक



प्राप्त किया  
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर कोषागार/  
बैंक की मुहर सहित